राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,
(भारत सरकार का उपक्रम)
681-690, गुलटेकडी मार्केट यार्ड
पुणे-411.37

<u>किराये पर कार लेने हेतु निविदा सूचना</u>

शासकीय संस्थाओं, ट्रेवल एजेन्सियों एवं अधिकृत व्यक्तियों से मासिक आधार पर कार्यालय प्रयोग के लिए टाटा इंडिका कार वर्ष 2010 या उसके बाद की पंजीकृत उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 16.10.2014 की अपरान्ह 2.30 बजे तक उक्त क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे में निर्धारित प्रपत्र में (टू बिड सिस्टम) प्रस्ताव आमंत्रीत किया जाता है, जो उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र तथा नियम व शर्तें कार्यालयीन दिवस / समय में पुणे स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से राशि रू.105/- डी.डी. जमा कराकर दिनांक 16.10.2014 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। सूचना वेबसाईट www.indiaseeds.com पर उपलब्ध है।

(आर.के.माथुर)
क्षेत्रीय प्रबंधक

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,
(भारत सरकार का उपक्रम)
681-690, गुलटेकडी मार्केट यार्ड
पुणे-411.37

<u>टेक्निकल बिड</u>

<u>निविदा फार्म</u>

<u>टाटा इंडिका कार किराये पर लेने बाबत्</u>

1) प्रोप्राईटर का नाम व पत्ता ....

....

2) प्रोप्राईटर का नाम / पार्टनर --

3) फर्म का रजिस्ट्रेशन नं --

(रजिस्ट्रेशन कापी संलग्न करें)

4) सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नं.--

5) इन्कमटैक्स पेन नम्बर---

6) कार का विवरम / निर्माता ---

रजिस्ट्रेशन नं .----------------- निर्माण वर्ष ----------------------- कलर-------------------

7) अनुभव प्रमाण पत्र --- (छाया प्रति संलग्न करें0

8) धरोहर राशि नगद / डिमान्ड ड्राफ्ट नं --------------------- दिनांक ----------- बैंक का नाम व शाखा ---------------------------------- राशि -----------------------------------मात्र

हस्ताक्षर
प्रतिष्ठान/अधिकृत व्यक्ति का नाम व पत्ता

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,

(भारत सरकार का उपक्रम)

681-690, गुलटेकडी मार्केट यार्ड

पुणे-411.37

<u>फायनान्शियल बिड</u>

<u>टाटा इंडिका कार को किराये पर देने की निविदा</u>

कार का संपूर्ण विवरण/निर्माता तथा रिजिस्ट्रेशन नं तथा निर्मान वर्ष	मासिक दर (15 की.मी. पर 1 लिटर डिजल कॉस्ट के अलावा.	धरोहर राशि का विवरण
टाट इंडिका कार		

पर देने के लिए नियम व शर्तों को भलीभांति पढ़ व समझ लिया है और मै उनसे सहमत हूँ.

हस्ताक्षर

प्रतिष्ठान/अधिकृत व्यक्ति का नाम व पत्ता

प्रतिष्ठान की सील

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,
(भारत सरकार का उपक्रम)
681-690, गुलटेकडी मार्केट यार्ड
पुणे-411.37

<u>कार को किराये पर लेने लिये नियम व शर्ते</u>

1) शासकिय संस्थोऔं, ट्रेवल एजेन्सीऔं तथा अधिकृत व्यक्तियों के पास अपने स्वामित्व और अधिकार में संभागीय परिवहन विभाग द्वारा 2010 या उसके बाद की पंजीकृत वाणिजिक, टाटा इंडिका कार अच्छी हालत में और संतोषजनक सेवा देने योग्य सफेद रंग की होनी चाहिए।
2) वाहन का रिपोर्ट हमारे क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में निर्धारित समय पर करना होगा तथा वाहन का माईलेज मीटर ओपनिंग एवं क्लोजिंग मीटर क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे से शुरू होकर क्षेत्रीय कार्यालय में समाप्त होगा।
3) पुणे से बाहर जाने पर वाहन चालक को ठहराव भत्ता निम्न रूप से दिया जायेगा :-
   i) छह घंटे तक वाहन बाहर रहने पर कोई ठहराव नहीं दिया जायेगा।
   ii) छह से बार घंटे तक वाहन बहार रहने पर रू.175/- दिये जायेंगे।
   iii) 12 घंटे से अधिक वाहन बाहर रहने पर रू.250/- प्रति दिन दिया जायगा।
   iv) पुणे के बहार जाने पर रविवार व राजपत्रित अवकाश दिन के लिये कोई उपरोक्त के दर्शाये गये भत्ते कि अतिरिक्त कोई भत्ता नहीं मिलेगा।
4) वाहन का सामान्य कार्य समय लोकल में प्रात:9.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक होगा। व इसके अतिरिक्त वाहन प्रयोग होने पर रू.20/- प्रति घंटा अतिरिक्त देय होगा। (अकत्तम रू.200/- प्रति दिन तथापि पूर्ण समय निगम को उपयोग का हक होगा।
5) जरूरत के मुताबीक दिये गये समय पर गाडी उपलबध कराना पडेगी।
6) निविदादाता गाडीका मासिक दर फायनान्शियल बीड पर इसके अतिरिक्त 15 प्रति कि.मी. गाडी चलाने पर एन.एस.सी द्वारा 1 लिटर डिजल का पैसा (पुणा की दर के आधार पर) दिया जायेगा। तथापि न्यूनतम कि.मी. की कोई गारंटी नहीं है।
7) वाहन को चलाये जाने की अवधि में वाहन की किसी कारण से दुर्घटना, नुकसान या क्षतिग्रस्त आदि होने के लिए निगम जिम्दार नहीं होगा। वाहन की सुरक्षा रख-ररखाव की पूर्ण जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी।

8) वाहन चालक के वैध परिवहन (कामर्शियल) ड्राईविंग लायसेंस की छायाप्रति हमारे कार्यालय में जमा करनी होगी, एवं इसे निविदा के साथ भी आवश्यक होग।

----Cont--

9) निविदाकर्ता को टेंडर फार्म के साथ धरोहर राशि के रूप में रू.5000/- मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो Natioanal Seeds Corporation Limtied Pune के पक्ष में देय जमा कराना होगा। यह राशि जब तक एजेंसी से कान्ट्रेक्ट रहेगा, जमा रहेगी तथा किये गये कान्ट्रेक्ट की सफलतापूर्वक समाप्ति पर ही रू.5000/- बिना ब्याज के वापसी किया जायेगा। टेंडर स्वीकृत होने के पश्चात प्रदायकर्ता द्वारा उपरोक्त शर्तों के अनुरूप कार्य न करने के कारण यदि कार्य आदेश निरस्त करना पड़ता है, तो धरोहर राशि के रूप में जमा धनराशि जप्त कर ली जायेगी।

10) प्रदायकर्ता वाहन की मांग पर वाहन को समय पर या सही हालत में उपलब्ध नहीं कराता है तो रू500/- प्रतिदिन के हिसाब से उसके मासिक बिल में से काट लिया जायेगा।

11) प्रदायकर्ता द्वारा दी गई दरें एक वर्ष तक मान्य रहेगी। यह अवधि दोनों पक्षों के राजीनामें से आगे बढ़ाई जा सकती है।

12) मासिक बिल का भुगतान अगले माह की सात तारीख के बाद किया जायेगा. माह के मध्य में कोई भुगतान या अग्रीम देय नहीं होगा। भुगतान में से आयकर नियमानुसार काटा जाएगा एवं अन्य जो भी सरकारी कर समय-समय पर लागू होगें वह भी एजेन्सी द्वारा देय होंगे।

13) निर्धारित समय (दिनांक 16.11.2014 को अपरान्ह 2.30 बजे तक) में प्राप्त निविदाओं को उसी दिन शाम 3.00 बजे तक निविदादाताओं एवं उनके प्रतिनिधियों जो उपस्थित होना चाहे के सामने खोला जायेगा।

14) क्षेत्रीय प्रबधक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, पुणे को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसा कारण बताये किसी भी या समस्त निविदाओं को रद्द कर सकते है तथा न्यनतम निविदा स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होंगे.

15) निगम को यह अधिकार होगा कि वह इस कान्ट्रक्ट को एक माह की नोटिस देकर निस्त कर सकता है।

16) वाहन को आवश्यकतानुसार लोकल में रविवार व राजपत्रित अवकाश में वाहन प्रयोग पर रू.200/- प्रति दिन देय होगा।

क्षेत्रीय प्रबंधक